बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र02 / ब्रेडा–यो0–03 / 14–   / पटना, दिनांक–

प्रेषक,

सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः– **मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत राज्य के सभी सरकारी भवनों के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ग्राउन्ड माउन्टेड सोलर पावर प्लांट, सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तथा सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन की योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं रख–रखाव के लिए परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) की स्थापना हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए कुल 29.30 करोड़ (उनतीस करोड़ तीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 9.90 करोड़ (नौ करोड़ नब्बे लाख) रूपये ब्रेडा को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–3436 दिनांक–22.06.2026 के आलोक में मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत राज्य के सभी सरकारी भवनों के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ग्राउन्ड माउन्टेड सोलर पावर प्लांट, सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तथा सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन की योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं रख–रखाव के लिए परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) की स्थापना हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए कुल 29.30 करोड़ (उनतीस करोड़ तीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 9.90 करोड़ (नौ करोड़ नब्बे लाख) रूपये ब्रेडा को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष 2810–नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–104–नवीन ऊर्जा के अनुसंधान, डीजाइन तथा विकास, उप शीर्ष–0101–अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, विपत्र कोड–10–2810001040101 विषय शीर्ष–31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
30,00,00,000.00	0.00	9,90,00,000.00	9,90,00,000.00	20,10,00,000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर ब्रेडा के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0063–बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलमेंट एजेंसी, व्यय शीर्ष–L8448001200063 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200063 में जमा की जाएगी।

7. बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलमेंट एजेंसी द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या–PTSPLA023 से की जाएगी।

8. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/ब्रेडा–यो0–03/14– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/ब्रेडा–यो0–03/14– 58 /पटना, दिनांक– 24.06.2026

प्रतिलिपिः–लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना/निदेशक, ब्रेडा, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.06.26

सरकार के संयुक्त सचिव।